	कार्यवाही विवरण	अनुपालना में क्रमांक व दिनांक
31.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, अंक तालिका दसवी कक्षा, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड रमेश तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021, शपथ पत्र हरिराम का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम हरिराम है तथा प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम रमेश है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।	
	आदेश	
	प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 225 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी संख्या 1 का नाम हरूराम पुत्र औकार के बजाय हरिराम पुत्र औकार तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम गीगाराम पुत्र औकार के बजाय रमेश पुत्र औकार दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।	
	31.8.21 **(राम सिंह राजावत)** **उपखण्ड अधिकारी** **उदयपुरवाटी** उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)	
	निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	31.8.21 **(राम सिंह राजावत)** **उपखण्ड अधिकारी** **उदयपुरवाटी** उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:12:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner